न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–51/2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

1 रहीश खान पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। – वादी

बनाम्

2 रफीक मोहम्मद पुत्र यासीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

3 अदरीश पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

4 जुम्मा पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। – प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री विक्रम सिंह राठोड़ – अधिवक्ता वादी
2. श्री मदन गोदारा प्रतिवादी सं. 1 ता 3

–ःनिर्णयः–

दिनांक 29.3.24

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नंबर 3 के.के. डब्ल्यू. ''ए'' तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 56/43 के प.न. 133/205 (1) किला नंबर 2 ता 4, 7 ता 9, 13, 14, 17, 18, 23, 24, प.न. 133/206 (2) किला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन में से 3/4 हिस्सा अर्थात् 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा यासीन से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का जन्मतः हक व अधिकार है। वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य घराघरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सख्या 2 व 3 को प्रत्येक को 0.759 हैक्टेयर–0.759 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 1 को 0.379 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा इसी अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 काश्त करते चले आ रहे है लेकिन यह भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है व इस भूमि पर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ रहा है। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू. ''ए'' तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 56/43 के प.न. 133/205 (1) किला नंबर 2 ता 4, 7 ता 9, 13, 14, 17, 18, 23, 24 प.न. 133/206 (2) किला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3/4 हिस्सा अर्थात् 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक 0.759 हैक्टेयर – 0.759 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 1 का 0.379 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:32:42 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से अर्सा दो दिवस पूर्व निवेदन किया कि वह उपरोक्त कृषि भूमि की मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करवा देवें लेकिन वह इन्कार हो गया। यही वाद कारण है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें किः–
कि घोषणा फरमाई जावें कि चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू.''ए'' तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 56/43 के प.न. 133/205 (1) किला नंबर 2 ता 4, 7 ता 9, 13, 14, 17, 18, 23, 24, प.न. 133/206 (2) किला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3/4 हिस्सा अर्थात् 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सख्या 2 व 3 प्रत्येक 0.759 हैक्टेयर – 0.759 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 1 का 0.379 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता मदन गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। राजीनामा पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादी वाद मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है किः– चक नंबर 3 के.के. डब्ल्यू.''ए'' तह. हनुमानगढ़ ज. सं. 2074–77 के खाता संख्या 56/43 के प.न. 133/205 (1) किला नंबर 2 ता 4, 7 ता 9, 13, 14, 17, 18, 23, 24, प.न. 133/206 (2) किला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3/4 हिस्सा अर्थात् 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण स. 2 व 3 प्रत्येक 0.759–0.759 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा इसी अनुसार कम किया जाकर शेष हिस्सा 0.379 है. कायम रिकार्ड रखे जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। **तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई सक्षम न्यायालय का स्थगन अथवा न्यायिक विवाद आदि नहीं हो, और प्रश्नगत रकबा रहन मुक्त हो तभी उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें अन्यथा नहीं।** भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.3.24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः– प्रश्नगत रकबा रहन मुक्त होने के आशय की शपथ की ... की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:32:42 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

(4)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–051/2024

1 रहीश खान पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1 रफीक मोहम्मद पुत्र यासीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

2 अदरीश पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

3 जुम्मा पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री विक्रम सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मदन गोदारा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व राजीनामा अनुसार डिक्री दी जाती है किः– चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू.''ए'' तह. हनुमानगढ़ ज. सं. 2074–77 के खाता संख्या 56/43 के प.न. 133/205 (1) किला नंबर 2 ता 4, 7 ता 9, 13, 14, 17, 18, 23, 24, प.न. 133/206 (2) किला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3/4 हिस्सा अर्थात् 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण स. 2 व 3 प्रत्येक 0.759–0.759 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा इसी अनुसार कम किया जाकर शेष हिस्सा 0.379 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम कायम रिकार्ड रखे जाने के आदेश दिए जाते है। **तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई सक्षम न्यायालय का स्थगन अथवा न्यायिक विवाद आदि नहीं हो, और प्रश्नगत रकबा रहन मुक्त हो तभी उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें अन्यथा नहीं।** भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX फिस XXX बाबत XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी ता[illegible] XX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत [illegible] 2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:32:42 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ